

SCHOLARSHIP NOTICE 2019-20

FOR COLLEGES

वर्ष 2019-20 हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

- सभी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य तथा उनके अधीनस्थ छात्रवृत्ति का कार्य देखने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तत्काल सक्षम प्राधिकारी/एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लें। (यदि पूर्व में नहीं प्राप्त किया है) प्रत्येक संस्थान को अपना मास्टर डाटा दिनांक 01 जून 2019 से 20 जुलाई, 2019 तक (कक्षा 9-10 के लिये 01 जून 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक) समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोड़कर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना अनिवार्य होगा।
- मास्टर डाटा को अपडेट करने, उनमें पूर्व में प्रदर्शित सूचनाओं में संशोधन करने, पाठ्यक्रम को हटाने या जोड़ने तथा शुल्क के विवरण को अद्यतन करने एवं उससे सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों को अपलोड करने हेतु 01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी समायावधि में 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त संस्थान भी अपने को पंजीकृत करते हुए समस्त सूचनाओं को भरते हुए सम्बन्धित आदेशों को अपलोड करेंगे।
- नवीन शिक्षण संस्थान जिनको 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त हो चुकी होगी, वे पोर्टल पर आनलाइन आवेदन समस्त सूचनाओं सहित भरेंगे एवं उसे सबमिट करेंगे तथा समस्त अभिलेखों की हार्डकापी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित कर आनलाइन अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र/हार्डकापी एवं समस्त अभिलेखों के सही पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लागिन एवं पासवर्ड संस्था को दिया जायेगा जिससे नवीन संस्था उपरोक्तानुसार अपना मास्टर डाटा पूर्ण/अपडेट करेगी। इस कार्य को प्रत्येक दशा में 20 जुलाई 2019 तक पूर्ण करना होगा।
- डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्ही छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश लिया गया हो।
- मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडमिशन/डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रावृत्ति के पात्र नहीं होंगे। कोई भी संस्थान ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित नहीं करेगा।
- वर्ष 2019-20 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ-साथ विश्वविद्यालय नामांकन संख्या एवं बोर्ड पंजीयन क्रमांक (जैसा लागू हो) भरना होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से बनवाना सुनिश्चित करेंगे।
- संस्था अपने यहां अध्ययनरत समस्त छात्रों को भली-भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) का चयन आवेदन पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक करें। सभी निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) ही होगा। गलत पाठ्यक्रम या संस्था द्वारा लाक न किया गया पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) गलत चयन करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। संस्था छात्र का डाटा फारवर्ड करते समय यह सुनिश्चित करे कि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित)

① Prof. P.B. Singh
② DSW

16/7/19
कुलसचिव

Ravindra Gautam
Kindly put it on
University website
Page 1/3
16-7-19

UNIVERSITY NODAL OFFICER
(Scholarship & Fee Reimbursement)
MJP Rohilkhand University
Bareilly (U.P.)

सही-सही अंकित किया गया है एवं छात्र उसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) का है जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रहा है। गलत वर्ग के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

- संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन प्राप्त करने से पूर्व छात्र का सम्पूर्ण विवरण- हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण-पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, छात्र द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय। गलत अंकित विवरण के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- किसी भी संस्था को पाठ्यक्रम का एक वर्ष (सेमेस्टर होत्रे की दशा में दो सेमेस्टर पूर्ण करने के पूर्व) पूर्ण विये बगैर अगले वर्ष की कक्षा में आवेदन अग्रसारित नहीं करना है। सम्बन्धित वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किये बगैर अगले वर्ष हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 10 सितम्बर 2019 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा शैक्षणिक संस्थान छात्र का आवेदन पत्र आनलाइन दिनांक 24 सितम्बर 2019 तक अग्रसारित करेंगे। दिनांक 22 अगस्त 2019 तक संस्था से अग्रसारित नवीनीकरण के छात्रों को 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जायेगी।
- कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन पत्र भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा। किसी भी पाठ्यक्रम में दूसरी बार छात्र द्वारा आवेदन का नवीनीकरण ही किया जाय, न कि नवीन आवेदन पत्र छात्र भरें। संस्था सही छात्रों को यह अवगत करा दें कि छात्र को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि नियमावली में दी गयी व्यवस्था/वरीयताक्रम के अनुसार धनराशि की उपलब्धता आधार पर सीधे छात्र के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
- बैंक खाते के सम्बन्ध में सभी छात्रों को संस्था द्वारा यह अवगत करा दिया जाय कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार केवाईसी0 (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो तथा छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो रहा हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में आनलाइन ट्रांसफर के लिये कोई ऐसी सीमा (Limit) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये। कभी-कभी छात्रों द्वारा बन्द खाते का अंकन भी आवेदन पत्र में किया जा रहा है जिससे धनराशि का अन्तरण सम्भव नहीं हो पा रहा है, ऐसा न करें।
- शिक्षण संस्थान को नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण यथा-छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि का अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित करके प्रधानाचार्य एवं मोडल अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से दिनांक 13 सितम्बर 2019 से 15 नवम्बर 2019 तक (कक्षा 9-10 के लिये दिनांक 13 सितम्बर 2019



से 15 अक्टूबर 2019 तक) सत्यापित करना होगा। इस डाटा का शिक्षा विभाग/कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन भी किया जायेगा।

- नये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक की प्रविष्टि में त्रुटि, आय में त्रुटि, आधार नम्बर में त्रुटि, हाईस्कूल के रोल नम्बर की प्रविष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी जिसे छात्र सही करके पुनः सबमिट करेंगे।
- निर्धारित अन्तिम तिथि के कम से कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र अपने आनलाइन आवेदन को पूर्ण कर लें ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके।
- राज्य स्तरीय स्कूटनी में सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय-सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा और आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। सही किये गये आवेदन पत्र को छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट लेकर संस्था में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा तथा संस्था द्वारा परिवर्तित किये गये आवेदन पत्र को पुनः आनलाइन अग्रसारित करना अनिवार्य होगा अन्यथा संशोधित किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
- राज्य स्तरीय स्कूटनी में सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय-सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि में जनपदीय अधिकारी को अभिलेखों सहित सन्देहास्पद डाटा के छात्रों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे।
- समय-सारिणी मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जारी की जा रही है, इस कारण समय-सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में कोई भी वृद्धि/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः समय-सारिणी के अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करें।
- संस्थायें वर्ष 2019-20 की समय-सारिणी, नियमावली 2018, एवं समय-समय पर प्रदर्शित की जाने वाली अन्य सूचनाओं हेतु <http://scholarship.up.nic.in> पर लागिन करके प्राप्त कर सकते हैं।

12
(सी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
निदेशात्मक समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

19/10
निदेशक
समाज कल्याण
(उत्तर प्रदेश)
आई० ए० एस०

Page 3/3

कार्यालय - जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ
फोन 99218-00 / छात्रवृत्ति 99218-00 दिनांक 16 जुलाई 2019
1- सैडीप उच्च शिक्षा अधिकारी - लखनऊ
2- जिला विद्यालय निरीक्षक - लखनऊ
3- नोडल अधिकारी - छात्रवृत्ति - सैडीप निदेशात्मक अधिकारी - लखनऊ
4- निदेशक / जनार्दन - सैडीप उच्च शिक्षा संस्था - लखनऊ

कृपया उक्त विभागीय निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर
अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

16.7.19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ